न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :14/2023 G.C.M.S. No. 2023/216 दर्ज दिनांक : 04.07.2023

अपीलार्थी:

1. भंवर सिंह पुत्र मोती सिंह जाति राजपूत निवासी झाडोली, तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही
2. नरेश चन्द्र पुरोहित पुत्र स्व. श्री शिवराम पुरोहित, जाति पुरोहित निवासी पुरोहितवास नई झाडोली, तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. चतरू बेवा हंसाराम
2. सीताराम पुत्र हंसाराम
3. प्रकाश कुमार पुत्र हंसाराम सर्वजातियान मेघवाल निवासीयान झाडोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा उपखंड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 60/2020 बअनवान चतरू बनाम पदम सिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 13.02.2023

पैरोकार–

1. श्री प्रमोद कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री राजेन्द्र सिंह आढा, श्री मोड़सिंह विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 30.04.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 60/2020 बअनवान चतरू बनाम पदम सिंह में पारित आदेश दिनांक 13.02.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 ने ग्राम झाडोली पटवार हल्का झाडोली में स्थित अपनी कृषि भूमि खसरा संख्या 467 में पहुचने हेतु अपीलांट की कृषि भूमि खसरा संख्या 468 में से रास्ते के लिए अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.12.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय से इस बाबत कोई सूचना या नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और अपीलांट को सुने अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.02.2023 को अपीलांट के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2023 को निर्णय पारित किया है। अपीलांट को उस पत्रावली बाबत कोई नोटिस नहीं मिला है। पत्रावली पर ऐसा कोई तामिलशुदा कोई नोटिस उपलब्ध नहीं है। दिनांक 30.04.2023 को पुलिस थाना पिण्डवाडा से पुलिसकर्मी मुआवजे का चैक लेकर आया तब अपीलांट को जानकारी होने से उक्त पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु दिनांक 02.05.2023 को

आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपास्त किया जावे।

म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 03 ने अपीलाण्ट अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौजा झाडोली में खसरा संख्या 467 रकबा 2.15 बीघा में आने जाने हेतु रास्ते की मांग की गयी। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 25.11.2021 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाण्ट अप्रार्थी के खसरा नम्बर 468 में से रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्त अपील विलम्ब के साथ प्रस्तुत की गयी।
2. प्रकरण में सर्वप्रथम धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निर्णयन आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 25.11.2021 व संशोधित निर्णय दिनांक 13.02.2023 अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया। जिसकी निर्णय की दिनांक को ही अपीलांट को जानकारी हों, यह संभव नहीं हैं। अतः यह धारणा किए जाने का पर्याप्त आधार है कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 30.04.2023 को ही हुई हों। अतः विलंब सद्भाविक है। लिहाजा विलंबकाल माफ किया जाना विधिसंगत होगा। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल को माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
3. अपीलाण्ट द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पेश कर निवेदन किया गया कि "अपीलांट, रेस्पोडेंट को रास्ता देना स्वीकार करते है, परन्तु उपरोक्त रास्ते के एवं जितनी भूमि रास्ते में ली जा रही है इतनी ही भूमि रेस्पोडेन्ट के खाते से अपीलांट के नाम की जावे, क्योकि अपीलांट मुआवजा राशि प्राप्त नहीं करना चाहता है। अपीलांट की भूमि से रास्ता हेतु आवश्यक भूमि के बदले रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि अपीलांट संख्या 01 के नाम समान रूप से भूमि के बदले भूमि दी जाने का आदेश करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश है।"
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट भंवर सिंह द्वारा अपीलाधीन आराजीयात खसरा संख्या 468 रकबा 02–05 बीघा पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 23.07.2024 द्वारा क्रेता नरेशचन्द्र को विक्रय कर दिया गया है, जबकि अपीलांट विक्रेता द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 04.07.2023 को प्रस्तुत की गयी थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा दौराने अपील विचारण आराजीयात का विक्रय किया गया है तथा विक्रय दिनांक से ही अपीलांट हस्तगत प्रकरण में आवश्यक व प्रभावित पक्षकार नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट भंवर सिंह को रास्ते के बदले बतौर प्रतिकर भूमि प्राप्त करने का कानून कोई अधिकार शेष नहीं रह जाता है। अतः अपीलांट का उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन होने से

खारिज किया जाता है। चूंकि अपीलांट संख्या 02 नरेशचन्द्र द्वारा अपीलाधीन आराजीयात में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता स्वीकृत किये जाने के संशोधित आदेश दिनांक 13.02.2023 एवं मूल आदेश दिनांक 25.11.2021 के प्रवर्तन के दौरान एवं इनके पश्चात तथा दोराने अपील विचारण अपीलाधीन आराजीयात क्रय की गयी है। ऐसी स्थिति में क्रय दिनांक से पूर्व पारित आदेश एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संपादित विचारण कार्यवाही के संबंध में अपीलांट संख्या 02 क्रेता को किसी प्रकार का उज्र लिये जाने का कानुनन कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में हमारे विनम्र मत में हस्तगत अपील सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 60/2020 बअनवान चतरू बनाम पदम सिंह में पारित आदेश दिनांक 13.02.2023 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णीत होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली